उत्तर प्रदेश शासन,

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-140/2018/2162/92-2-2018-06(जांच)/2012

लखनऊ :: दिनांक:: 16अक्टूबर, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-कानपुर देहात के कार्यकाल के दौरान डा0 अम्बेडकर ग्राम लाड़पुर पैठ एवं डा0 अम्बेडकर ग्राम कपासी कला में वर्ष 2011-12 में कराये गये अधोमानक सी0सी0 रोड एवं के0सी0 ड्रेन निर्माण कार्यों की उच्चस्तरीय जांचोपरान्त 1:6:12 लीन कांक्रीट व 1:2:4 सीमेंट कांक्रीट के स्थलीय गुणवत्ता नियन्त्रण परीक्षण निर्धारित मात्रा में न किये जाने, साइन बोर्ड न लगाये जाने तथा खराब कान्स्ट्रक्शन ज्वांइट को ठीक न कराये जाने हेतु प्रथम द्रष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-82/2017/433/92-2-2017-06(जांच)/2012, दिनांक 26.05.2017 द्वारा श्री आशाराम, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-कानपुर देहात (सम्प्रति प्रखण्ड-ललितपुर) के विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासनिक एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुए प्रकरण की जांच हेतु अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल कानपुर को पदेन जांच अधिकारी नामित किया गया।

2- शासन के पत्र संख्या-1414/92-2-2017-06(जांच)/2012, दिनांक 10.08.2017 तथा पत्र संख्या-3295/92-2-2017-06(जांच)/2012, दिनांक 14.12.2017 द्वारा श्री आशाराम के विरूद्ध अनुमोदित आरोप पत्र एवं अनुपूरक आरोप पत्र निर्गत करते हुए जांच अधिकारी को नियमानुसार जांच कर जांच आख्या निर्धारित समयान्तर्गत उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये। जांच अधिकारी/अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल कानपुर द्वारा अनुमोदित आरोप पत्र तथा अनुपूरक आरोप पत्र अपचारी अधिकारी श्री आशाराम को आरोप पत्र दिनांक 24.08.2017 तथा अनुपूरक आरोप पत्र दिनांक 29.12.2017 को तामील कराया गया। अपचारी अधिकारी द्वारा आरोप पत्र का बचाव उत्तर दिनांक 17.11.2017 तथा अनुपूरक आरोप पत्र का बचाव उत्तर दिनांक 19.01.2018 को जांच अधिकारी को प्रेषित किया गया।

3- जांच अधिकारी के पत्र दिनांक 17.03.2018 द्वारा जांच आख्या शासन में उपलब्ध करायी गयी। जांच अधिकारी ने अपनी जांच आख्या में अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित कुल-4 आरोपों (अनुपूरक आरोप सहित) में से किसी भी आरोप को प्रमाणित नहीं पाया, परन्तु शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त डा0 अम्बेडकर ग्राम लाड़पुर पैठ एवं डा0 अम्बेडकर ग्राम कपासी कला में वर्ष 2011-12 में कराये गये सी0सी0 रोड के निर्माण कार्यों में खराब कान्स्ट्रक्शन ज्वाइन्टस बनाये जाने के लिए श्री आशाराम को दोषी पाया गया, जिसके क्रम मे उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासनिक एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-9(4) के अन्तर्गत शासन के पत्र संख्या-1652/92-2-2018-06(जांच)/2012, दिनांक 29.06.2018 द्वारा श्री आशाराम को अभ्यावेदन उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया, जो उनके पत्र दिनांक 24.07.2018 द्वारा उपलब्ध कराया गया।

4- अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित आरोप, जांच अधिकारी की जांच आख्या, अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन व अन्य संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त पाया गया कि अपचारी अधिकारी श्री आशाराम, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-कानपुर देहात जो तत्समय प्रभारी सहायक अभियन्ता के रूप मे तैनात थे, वर्तमान मे वे अवर अभियन्ता के रूप मे प्रखण्ड-ललितपुर मे तैनात हैं, के क्रम में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 26.05.2017 द्वारा संस्थित अनुशासनिक जांच को एतद्द्वारा निरस्त करते हुए नियुक्ति प्राधिकारी निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को श्री आशाराम के विरूद्ध संस्थित अनुशासनिक जांच से संबंधित समस्त अभिलेख मूल रूप में प्रेषित करते हुए निर्देशित किया जाता है कि श्री आशाराम, तत्कालीन प्रभारी सहायक अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-कानपुर देहात सम्प्रति अवर अभियन्ता प्रखण्ड-ललितपुर के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही करने तथा शासन को अवगत कराये जाने की एतद्द्वारा श्री राज्यपाल संहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूद्दीन

अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in